# CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION AFFILIATION OF SCHOOL

Kindly Take The PrintOut Of This Page

REGISTRATION PAGE Registration No: EX-01347-1011

You have successfully submitted Application On-line. kindly take the printout of this page and send the same along with Bank Draft (in favour of "Secretary, CBSE Delhi", payable at Delhi) to "The Secretary, Central Board of Secondary Education, Shiksha Kendra, 2 Community Centre, Preet Vihar, Delhi 110092" for further processing. The application will be processed only after receipt of the Bank Draft and Registration Page on First Come First Served basis. Therefore, the documents may be sent so as to reach CBSE, Delhi immediately and , in any case, not later than 30<sup>th</sup> June 2009 in order to be eligible for affiliation for session 2010-11

School Name BANSI VIDYA NIKETAN SR SEC SCHOOL

Head of the School MS ANJU DAGAR

Complete Mailing RAJIV COLONY SECTOR 56-A BALLABGARH FARIDABAD

Address HARYANA, ballabgarh, 121004

District FARIDABAD State HARYANA

Applied For Extension of Provisional Affiliation

LIST OF ENCLOSURES

1. A Scanned copy of Reserve Fund maintained as per norms.

yes

2.A Scanned copy of EPF code No. allotted by the EPF department.

3. A Scanned copy of Affidavit to the effect that the school is not sponsoring candidates for Board's Examination of any other School/Branch, which is not affiliated to the Board.

**Details Of Bank Draft** 

 Bank Draft No.
 003688

 Amount
 12500

 Date of Issue
 5/23/2009

Name of the Issuing Bank Union Bank of India

Address of the Issuing Bank Village- Jharsently Sec-59 Faridabad

# CERTIFIED THAT

The information provided is true to the best of my knowledge. The school is not sending candidates of any other Board/University for examination. The school is run by a registered society which is of a non-proprietary character and its constitution is such that it does not vest control in a single individual or members of a family and the aim of the society is to impart quality education to the children and not to earn profit.

Place:

Signature & Seal

Date:

Principal

MS ANJU DAGAR

Counter Signed by President/Manager/Secretary/ Chairman of the Trust/Society

Signature with Stamp

Name & Designation

Sh. Narayan Singh Dagar,Chairman

### **Forwarded and Recommended**

To be signed only in case NOC or separate letter is not enclosed. Director of Education State/UT, First Secretary Embassy of India in case of Foreign Countries

Signature with Stamp

Name & Designation

राणीका विता किया जीवेजारी : प्राचाराय inis: 31/8/2000 बारें क्रांट की-1-200/ 1347-51 माध्योप्त स्तरीय क्याई मान्यता । विषय :-भिडल स्ट्राल शर्माव वे छटी वे आध्यी १६ शिमीहत विभाग तह की स्थोई मान्यता निम्नीतीक कार्र पर प्रदान की जाती है :-वंत्या क्या विभाग हरियाचा व क्यी भी पद ठी स्वीकृति तथा वित्तीव वहायवा की मांग नहीं करेगी, तथा अने ही व्हें पर स्कूत वतावेगी। 1. भीवश्य में निर्धारित नाम जुवार विवास्य में उसी रोक्गार जार्यांक्य है 2. माय्यम वे रखी जावेगी। विशास्त्र ने नार्वता क्रमाया है व: माउ वे वेतन वे तरावर नी राशि किता चित्र जोध्वारी प्रीदाहाद वे नाग प्रदेख वरामें । वीद राशि प्रदेख न 3. व्हाई तो मान्यता रदद् वर दी बादेगी । देल वा मुतान देव वे दारा क्या गरेगा । 40 ट्नी उध्यापर्जे की बीवपीवस्थ की साधि त्यानीय दें में बमा कराई बाये ! 5. दंत्या जी खरा 214-219 वे ज्लात सी खुदेन जोड़ ईतों वो दूरा अला होना बोद किया भी अन्य निर्तासन है दौरान किया भी पुनार दी 6. डीन्यितित्ता पाई गई तो मान्यता रप्द वर दी बायेती । तीवहटत्युवयूवस्थव रेड्झाव तया त्याँट्य प्रण्ड की राशिय का ग्रेसर विभाग वे नियमानुवार हर वर्ष जात्त वे पक्षे जिता किता बीधकारी के कार्यांत्य में बमा वराना होगा । क्या विभाग को कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिजार्ड रवे क्यें कि 8. ने किती भी सम्म देव वर स्क्या है। स्बुदेवत कोठ की धारा 159 वे उन्कांत भव इत्यादि नाम अवार पूर्व करना द्यां :-वृथ्वाकः व्यांवः स्म:-इकी सं प्रीत निर्निर्देशित को तुष्तार्व एवं जावरपंथ ठावंबाही हेतू देशिय है। निरेक रेकेडरि जिस रिल्यामा चाडीगढ़। व्यन्येक विभा जीभगती पत्याम्बीनाया । धन्यत्या विकास भोई प्राव हत शुर्थाः अदानः शतानः ।

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी - फरीदाबाद

आदेश क्रमांक : जी -1/00 / 1654-57

दिनांक : 12.9.2000

BANSHI VIDYA NIKETAN SCHOOL RAJEEV COLONY SEC 25
FARIPABAP, को कक्षा पहली से पांचवी तक शिक्षा कोड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विभाग तक तुरन्त प्रभाव से निम्न शर्ती पर स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

- विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलार्येंगे और सरकार से किसी पद या ग्रान्ट की मांग नहीं करेगें ।
- 2. विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों एवं शर्ती तथा एजुकेशन कोड की धारा 214 के तहत सभी नियमों एवमं शर्तो को मानने के लिये बाधय होगा।
- 3. विद्यालय स्टाफ का वेतन् समय-2 पर संशोध्न होने पर नियम अनुसार संशोधित राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम से छ : मास के वेतन के बराबर राशि पलैज करवाने को बाधय होगा।
- 4. भावी नियुवित्तया / विभाग / सरकार द्वारा जारी नियमानुसार की जार्ये।
- 5. स्टारफ का जी.पी.एफ. २ सी.पी.एफ. सरकार के नियमानुसार चालू किया जाये।
- 6. फन्डो केशेयर नियम अनुसार इस कार्यालय में भेजे जारे!
- 7. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय रिकार्ड एवं शैक्षिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है।

ड्रियंश्राच्या अधिकारी, फरीदाबाद (हरियाणा )

40	क्रंमाक	:	सम	:
_				

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगद्।
- ३ ं सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया ।
- 4. अनुभाग अधिकारी स्थानीय ।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फ्लीदाबाद (हरियाणा) 12/9/2000 प्रबन्धकः / मुख्य अध्यापक

अल्ला भारता मिन्टर-१५ वर्षाणा मिन्टर अवर्षा

यदि क्रमांकः मे 1/2001 कि - इ-2001 = 1721

अस्थाई मान्यता स्तर तक वर्ष 2001-2002

संदर्भ : आप द्वारा अस्वाई मान्यता हेतु भेजी गई फाईल के सन्दर्भ मैं ।

आप की वर्ष 2001-2002 के लिए दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2002 के लिए कक्षा ... से जिल्ला तक अस्थाई 

- इस कार्यालय द्वारा दी गई अस्थाई मान्यता के आधार पर आप किसी प्रकार का अनुदान/वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेंगे और नियमनुसार विद्यार्षियों को भी सुविधाएं अपने खर्चे पर प्रदान करेंगे।
- सभी विद्यार्थियों के लिए फर्नींचर इत्यादि का प्रवन्थ सुनिश्चित किया जाए।
- पद्भये जाने वाले विज्ञान विषयों के लिए उपर्युक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरण कर पूरा प्रबन्ध करें।
- अध्यापकों की नियुक्तियां हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार की जाए तथा ट्रेन्ड अध्यापकों को ही लगाया जाए ।
- स्टाफ का वेतन चेक के द्वारा ही दिया जाए। 5.
- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई आए। Ó.
- यह मुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में लाईअरी हो तथा विषयों की प्रयोप्त संख्या में पुस्तके उपलब्ध हों।
- यदि आपकी मैनेजमेन्ट कमेटी शिक्षा विभाग से अनुमोदिब नहीं हो तो उसके कार्यालय/विभाग द्वारा अनुमोदित करवाएं 9. 8. हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की धारा 214, 215 एवं 222 की दूछता से पालना की जाए।
- संस्था में कार्यरत स्टाफ के वेतन का छः माह के बराबर राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीटाबाट के नाम प्लेख कराई जाए !
- संस्था में कार्यस्त के लिए पी० एफ० की स्क्रीम लागु की जाए।
- खेल के मैदान का उचित प्रबन्ध किया जाए। 12.
- नियम के अनुसार भवन का कवर्ड एरिया बत्यया जाए तथा भवन का नंकशा रजिस्टर्ड आर्क्टिक्ट से बनवाकर भेजा जाए 13. जंडशाला भवन संस्था/सोसाईटी के नाम रजिस्टडं/लीज पर कराया जाए ।
- छत्र निधियों की शेयर मनी नियमानुसार समय पर जमा कराई आए । 14.
- हिस्त विभाग/संस्कार के किसी भी अधिकारी को विश्वालय के रिकार्ड की जांच करने का पूर' अधिकार होगा और यदि किसी समय जब गया कि प्रवन्धक/मुख्य एंखुकेशन कार्ड की धारा 214 का उत्तंबन कर रहे हैं तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उपरोक्त शर्ते को छः गास की अवधि में पूरा कर दिया जगर

ज्ञान संखाः

उपरोक्त के एक प्रति निम्नलिखित को सूचनर्थ एवं अन्त्रम्थक लर्थवाती हेतु

- जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद
- न्दिंगक सेकेएडर्ग शिक्षा हरियाणा चंडीगढ़।
- नचिव ह्रियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड विभानी !

उपाण्डल शिक्षा अधिकारी प्रिय प्रतीदाबाट

फरीटाबाट

in the second of the second of

# OFFICE OF THE COMMISSIONER CUM DIRECTOR GENERAL SCHOOL **EDUCATION, CHANDIGARH**

ORDER NO. 13/97-2004 PS(2)

## DATED, CHANDIGARH, 29.06.2006 ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under rule 34 (1) of Haryana School Education, Rules, 2003, sanction is hereby accorded to grant permanent recognition to Bansi Vidya Niketan Sr. Sec. School, Rajiv Colony, Ballabgarh (Faridabad) for Class 1st to 12th (Arts, Commerce and Science Stream) under BOSE pattern with effect from 01.04.2006 run by Managing Committee, Dagar Vishwa Bharti Shiksha Samiti, Sohna Sahaipur Road, Ballabgarh (Faridabad) following terms and conditions: -**TERMS & CONDITIONS: -**

The school shall follow the course of study as per syllabus prescribed by the affiliated board.

The school shall charge fees and funds as declared to the appropriate authority at the time of application for recognition and display the same on the notice board of the school and shall not increase the fees during the any academic session. In case of change in the fee structure the school shall inform to the appropriate authority in the month of January for the next academic year and will also issue printed receipt of fees/funds to the students.

Salary shall be paid as per declaration at the time of seeking recognition. 3.

No capitation fee and other charges shall be charged from the children/parents.

School shall be open for admission without any discrimination based on religion, caste, race, place of birth or any other whimsical.

Managing Committee shall not allow to run two schools affiliated by different board/council in the same 6 premises.

Managing Committee shall not close down the school or an existing class during the academic session without the prior approval of the appropriate authority.

The school shall be open for inspection for the inspecting officer authorized by the Director/Appropriate

Recognition so granted shall be reviewed after every 10 years.

No financial assistance shall be granted by the Department to the school. 10.

School premises shall not be used for commercial purpose and anti National activities. 11.

Approval of Managing Committee shall be obtained from the appropriate authority in case of any change in the 12. committee.

The Managing Committee shall follow the instructions issued by Government/Director from time to time and 13. supply the information to the Govt./ Department as required.

In addition to above the Managing Committee shall abide by the provisions of Haryana School Education 14. Rules, 2003 and amendments if any thereafter. The Managing Committee shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provisions of the rules.

School will provide ramp within six months. 15.

> K.K. Khandelwal **Commissioner cum Director General** School Education, Haryana, Chandigarh Dated, Chandigarh. the 29.06.2006

#### Endst. No. even

A copy is forwarded to the following for information and necessary action: -

Managing Committee Dagar Vishwa Bharti Shiksha Samiti, Sohna Sahaipur Road, 1. Ballabgarh (Faridabad).

District Education Officer Faridabad.

- Secretary, Board of School Education, Bhiwani. 3.
- Additional Deputy Commissioner, Faridabad. 4.

Copy for master file. 5.

> **Superintendent Private School** for Commissioner cum Director General School Education, Haryana, Chandigarh.